न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आई0ए0एस0
निगरानी सं0 26/2008 धारा 80(2) न0पा.अधि.
राजस्थान सरकार जरिये उपखंड अधिकारी दौसा

..निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

सविता देवी पत्नि श्री सतीश चन्द जैन निवासी निधि वन कॉलोनी, दौसा

..गैर निगरानीकार/अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 80(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 138 दिनांक 30.1.2002

उपस्थिति– 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 03.02.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 80(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इस प्रकार है कि नगर पालिका दौसा द्वारा दिनांक 30.1.2002 को गैर निगरानीकार को पट्टा संख्या 138 जो कि 175.33 वर्गगज का है, जारी कर दिया। नगर पालिका दौसा के उक्त आदेश से असंन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि श्रीमती सविता जैन पत्नि श्री सतीश चन्द्र जैन निवासी निधि वन कॉलोनी, दौसा को नगरपालिका दौसा द्वारा खसरा नंबर 1504 में पटटा संख्या 138 दिनांक 30.1.2002 को प्लॉट नंबर जे–568 निधिवन नगर, दुर्गा मंदिर के पास, दौसा को 52 फीट 6 इंच गुणा 30 फीट का जारी किया गया है। उक्त पटटा जो कि श्रीमती सविता जैन को जारी किया गया है, के पटटे में उत्तर दक्षिण भाग की तरफ साढे सात फीट रास्ते में छोडते हुए जारी किया गया है, जबकि नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित नक्शे अनुसार 15 फीट भूमि रास्ते में काटी जानी थी। इस प्रकार श्रीमती सविता जैन के पटटे में साढे सात फीट भूमि और रास्ते में काटते हुए पटटा जारी किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्रीमती सविता जैन को जारी पटटा नगर नियोजक द्वारा प्रमाणित प्लान के अनुसार नहीं होने से उक्त पटटा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में दलील दी कि श्रीमती जैन ने नगरपालिका दौसा द्वारा बैजनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति दौसा कर निधिवन नगर योजना के भूखंड संख्या सी–4 जिसका कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूखंड की आवंटी एवं कब्जाधारी होने से उक्त भूखंड के पेटे चालान नंबर 3123 दिनांक [illegible].12.2001 के द्वारा कुल 9000/–रू0 जमा करवाये गये है। श्रीमती [illegible] को पटटा नगरपालिका दौसा द्वारा खसरा नंबर 1501 में से जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में यह भी दलील दी कि नगरपालिका दौसा द्वारा अप्रार्थिया को विधिवत रूप से पटटा जारी किया गया है। अप्रार्थिया को पूर्व में ही साढे सात फीट भूमि काट कर कम भूमि का पटटा जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:53 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

गया है। नगरपालिका दौसा द्वारा रोड के दूसरे सिरे से साढे सात फीट भूमि न काटकर अप्रार्थिया की भूमि में से ही 15 फीट भूमि लेना चाहती है व प्रार्थिया का पटटा निरस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) दौसा से अप्रार्थिया के पटटे को निरस्त नहीं करने हेतु एवं यथास्थिति बनाये रखने हेतु नगरपालिका दौसा एवं अन्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जा चुका है। नगरपालिका द्वारा अप्रार्थिया की 200 वर्गगज भूमि में से पूर्व में ही रास्ते के एफ तरफ की 7.5 फीट जमीन को रास्ते हेतु कम किया जाकर कुल 175 वर्गगज भूमि का पटटा जारी किया गया है। माननीय न्यायालय श्रीमानजी को उक्त जारी पटटे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–1957 की धारा 80 (2) के तहत इस न्यायालय के समक्ष नगर पालिका दौसा द्वारा जारी पट्टा संख्या 138 दिनांक 30.1.2002 को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत पट्टा नगरपालिका दौसा द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 (2) में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी भूमि को पटटे पर देने, बेचने या अन्तरित करने के लिए किये गये किसी प्रस्ताव के ठीक होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा। कानूनन पटटा जारी होने के पश्चात को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। नगरपालिका दौसा द्वारा जारी पटटे को निरस्त करने हेतु नगरपालिका दौसा हाल नगर परिषद दौसा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत याचिका क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 80 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 फरवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:53 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा